न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।
अपील सख्याः–16/16 (आरसीएमएस नं. 2016/00140)

1. श्रीमती सुमन पत्नी स्व. श्री राजेश कुमार जाति जाट, निवासी नयासर तहसील व जिला झुन्झुनू।
2. मोहित कुमार पुत्र स्व. श्री राजेश कुमार, जाति जाट, निवासी नयासर तहसील व जिला झुन्झुनू।

––अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती मोहनी देवी पत्नी स्व. शुभकरण जाति जाट, निवासी नयासर तहसील व जिला झुन्झुनू।
2. श्रीमती सुधीरा पत्नी मोहरपाल पुत्री स्व. श्री शुभकरण, जाति जाट, निवासी नयासर तहसील व जिला झुन्झुनू।

––रेस्पोडेन्ट्स

3. मनोज कुमार पुत्र स्व. श्री शुभकरण, जाति जाट, निवासी नयासर तहसील व जिला झुन्झुनू।
4. ग्राम पंचायत नयासर जरिये पदेन सचिव ग्राम पंचायत नयासर, तहसील व जिला झुन्झुनू, राजस्थान।

निर्णय

दिनांकः 17.04.2018

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू के आदेश दिनांक 02.12.2015 (प्रकरण संख्या 1/2010) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू में प्रस्तुत अपील में दिनांक 28.10.2015 को आगामी तारीख पेशी दिनांक 04.01. 2016 नियत की गई थी परन्तु दिनांक 16.11.2015 को ही रेस्पोडेन्ट्स के शीघ्र सुनवाई के प्रार्थना पत्र पर हाल अपीलान्ट को बिना सुने एवं बिना सूचना दिये ही पत्रावली पर सुनवाई कर ली गई व पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 02.12.2015 पेश होने की नियत की गई, इस कारण अपीलार्थीगण को अगाामी तारीख पेशी की जानकारी नही हो सकी एवं दिनांक 02.12.2015 को प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा बिना अपीलार्थीगण को सुने ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की अपील को स्वीकार करते हुए नामान्तरकरण संख्या 272 पर ग्राम पंचायत नयासर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.10.1990 को अपास्त कर दिया उक्त विवादि आदेश दिनांक 02.12.15 पारित किया गया है, जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष आदेश दिनांक 09.10.1990 को वर्ष 2009 में चुनौती देते हुए अपील पेश की है, जो कि अत्यधिक विलम्ब से होने के कारण मियाद बाहर है तथा उक्त देरी के बारे में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

ओर से कोई भी युक्तियुक्त कारण अपनी अपील में नही बताया गया है। उन्होने कथन किया है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण की बिना सुनवाई किये हुये ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है जबकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने विभिन्न निर्णयों में यह अवधारित किया है कि पक्षकारान को सुनवाई का अवसर दिया जाना एक आज्ञापक प्रावधान है इस कारण भी अपीलाधीन आदेश निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा हाल में एक प्रकरण में यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु वर्ष 2005 से पूर्व हो चुकी है तो उसकी सम्पत्ति में उसकी पुत्री का सह–दायिक अधिकार (कॉ–पाशनरी राईट) नही होगा, वर्तमान प्रकरण में शुभकरण की मृत्यु दिनांक 27.06.1990 को हो चुकी थी इस कारण रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का शुभकरण की सम्पत्ति में कोई हक व हिस्सा नही है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि दिनांक 07.11.1998 के अनुबन्ध के तहत अपीलार्थी संख्या 1 व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 3 के मध्य परिवारिक सम्पत्ति का बंटवारा किया गया है जिसके तहत मोहनी देवी ने कृषि भूमि में कोई हिस्सा नही लिया और अपना हिस्सा अपने पुत्र व पुत्रवधु के पक्ष में अपनी स्वेच्छा से सरेण्डर कर दिया, उक्त परिवारिक समझौता अपीलार्थीगण द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष जरिये अधिवक्ता प्रस्तुत किया था फिर भी प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा उक्त समझौते पर बिना गौर किये ही विवादित अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.12.2015 को अपास्त करने के आदेश फरमाये जावें एवं नामान्तरकरण संख्या 272 को बहाल फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या संख्या 1 लगायत 3 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुऐ कथन किया है कि शुभकरण पुत्र चिमनाराम की खातेदारी जमीन खसरा नम्बर 80 रकबा 20 बीघा 11 बिस्वा ग्राम नयासर जिला झुन्झुनू में स्थित है, शुभकरण की मृत्यु दिनांक 27.06.1990 को ग्राम नयासर में हो चुकी है, शुभकरण के चार वारिसान है, पहली वारिस पत्नी मोहनी देवी, दूसरा पुत्र राजेश कुमार, तीसरा पुत्र मनोज कुमार व चौथी पुत्री सुधीरा है, राजेश कुमार फौत हो चुका है जिसके वारिसान पत्नी सुमन व पुत्र मोहित कुमार (अपीलार्थी) है। उन्होने कथन किया है कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत वर्ष 2005 के संशोधन के उपरान्त सहदायिक की पुत्री व पुत्र की भांति अपने स्वयं के अधिकार के द्वारा सम्पत्ति मे सहदायिक होगी, संशोधित प्रावधान के अनुसार विधिक रूप से पुत्रियों के अधिकार को जन्म से विधिक मान्यता प्रदान करता है अर्थात सम्पत्ति में पुत्रियों का अधिकार पुत्रों के बराबर है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 ने कथन किया है कि पूर्व में अपीलार्थीगण व अप्रार्थी मनोज कुमार ने शुभकरण की मृत्यु के बाद दिनांक

संभागीय आयुक्त
जयपुर

06.10.1990 को नामान्तरकरण संख्या 272 के द्वारा शुभकरण की उपरोक्त सम्पत्ति में अपने नाम से आराजी को 1/2–1/2 करवा ली थी जिसमें अप्रार्थी श्रीमती मोहनी व श्रीमती सुधीरा को सम्पत्ति में से कोई हिस्सा नही दिया गया था, उपरोक्त आदेश दिनांक 06.10.1990 को अप्रार्थीगण द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू के समक्ष चुनौती दी जिसमें अप्रार्थी श्रीमती मोहनी व सुधीरा की अपील आदेश दिनांक 02.12.2015 के द्वारा स्वीकार की गई है जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रुटि नही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन पर जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में दिनांक 28.10.15 को आगामी तारीख पेशी दिनांक 04.01.16 नियत की थी तत्पश्चात् रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के प्रार्थना पत्र शीघ्र सुनवाई दिनांक 16.11.15 को प्रस्तुत करने पर प्रकरण में रेस्पोडेन्ट की बहस सुनकर प्रकरण वास्ते आदेश दिनांक 02. 12.15 नियत किया गया और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 02.12.15 को अपीलाधीन आदेश जारी कर दिया गया जबकि अधीनस्थ न्यायालय की उक्त समस्त कार्यवाही की जानकारी अपीलान्ट को नही दी गई और अपीलाधीन आदेश जारी करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर भी नही दिया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरित होने के कारण उसे न्यायिक दृष्टि से उचित नही ठहराया जा सकता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.12.2015 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें तथा रिमाण्ड आदेश कीं पालना में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू द्वारा पारित किये जाने वाले निर्णय तक वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकार्ड की स्थिति यथावत रखी जाने के आदेश भी दिये जाते है।

(राजेश्वर सिंह)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 17.04.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।